राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 717/2009/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, भिवाड़ी. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रू इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
1/33, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, निमराना. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, भिवाड़ी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 412/उपा–अल/06–07/आरवैट/08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–भिवाड़ी (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2007 के द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 6,06,698/– के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2007 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वाहन संख्या एच.आर. 46/7662 को नीमराणा स्थित ओम धर्मकाँटे के निकट चैक किया जाने पर उक्त वाहन में 16 रोल पी.वी.सी. केबल बिना खरीद दस्तावेजों के परिवहनित करना पाया जाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा रोका गया एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वाहन को रिलीज किया जाने पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त–भिवाड़ी द्वारा उक्त वाहन में परिवहनित माल बिना दस्तावेजों के परिवहनित होना माना जाकर धारा 76(2)(बी) ऑफ आर वैट एक्ट 2003 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(5)(बी) ऑफ आर वैट एक्ट 2003 के तहत अभिग्रहित गया एवं इस वाहन में परिवहनित माल को प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय किये जाने की घोषणा किये जाने पर उन्हें पक्षकार बनाया गया एवं रूपये 20,22,698/– के

लगातार.....2

पी.वी.सी. केबल को बिना दस्तावेजों के राज्य में करचोरी की नियत से परिवहनित होना मानते हुए 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 6,06,698/— आरोपित की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक होना बताया बहस में कथन किया कि तथ्यों का परिक्षण उचित तरीके से नहीं किया गया है। वेट अधिनियम के तहत धारा 76(2)(a) विशिष्ट प्रावधान है जिसके अधीन वाहन का स्वामी परिवहनित किये जाने वाले माल के दस्तावेज अपने साथ में रखेगा। जांच के समय दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जायेगा। जांच के पश्चात दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें प्रावधान की पालना होना नहीं माना जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तृत विवरण देते हुए शास्ति आरोपित करने का निष्कर्ष दिया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गयां।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.01.2007 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वाहन संख्या एच.आर.46—7662 को नीमराणा स्थित ओम धर्मकाँटे के निकट चैक किये जाने पर वाहन मे 16 रोल पी.वी.सी. केबल बिना खरीद दस्तावेजों के परिवहनित करना पाये गये। दिनांक 15.02.2007 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा उक्त माल को रिलीज करने के पश्चात 16 रोल पी. वी.सी. केबल को वैट अधिनियम की धारा 76(5)(बी) के तहत अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहित माल को राज्य स्थित फर्म मैसर्स प्रू इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एस. पी. 1/33, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नीमराणा द्वारा विक्रय करने की घोषणा करने के कारण पक्षकार बनाया गया। सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.02. 2007 को नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। जवाब के साथ व्यवसाई ने उक्त माल के सम्बन्ध में इनवॉइस नं. 155 व 156 दिनांक 16.02.2007 को कीमतन रूपये 20,22,698/— मैसर्स कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड के पर्चेज ऑर्डर, प्रोफार्मा इनवॉईस, मैसर्स दस्तूर एंड कम्पनी प्रा.लि., की इंस्पैक्शन रिपोर्ट व फर्म की दैनिक स्टॉक पंजिका की छायाप्रति पेश की व जाहिर किया

लगातार.....3

कि उक्त वाहन में लदे माल का इन्द्राज उसकी नियमित लेखा पुस्तकों में किया गया है। उन्होंने जाहिर किया कि वाहन चालक की गलती से माल के साथ विक्रय बिल जांच के दौरान नहीं पाये गये। वास्तव में वाहन चालक बिना बिल लिये ही माल का वजन करवाने हेतु फैक्ट्री से बाहर निकल गया व उसी दौरान उसे चैक किया गया। उन्होंने जाहिर किया कि माल का विक्रय मैसर्स कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड के पर्चेज ऑर्डरों के अनुसार 'सी' फार्म के तहत किया जा रहा है। अतः उनकी कर चोरी की कोई मंशा नहीं है। परिवहनित माल पी.वी.सी. केबल कीमतन रूपये 20,22,698/– मैसर्स कॉरपोरेट इस्पात लिमिटेड के क्रय आदेश की पालना में रायपुर भेजा जाना था जिसके समस्त दस्तावेज नियमानुसार बनाये गये थे। क्रय आदेश के तहत 'सी' फार्म के समर्थन में माल भेजा जाना था। बिना बिल के बिक्री किये जाने का तथ्य सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों को अमान्य करने का कोई कारण नहीं दिया है तथा प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन डूंगरपुर बनाम जुहारमल बाबूलाल न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 वी. एस.टी. 276** में व्यवस्था दी गई है कि जांच किया जाना आज्ञापक है तथा जांच के अभाव में शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विस्तृत विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

04/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य